



झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

सर्किट हाऊस के सामने, कमिश्नरी कैम्पस झाँसी, उत्तर प्रदेश- 284001

फोन : 0510.2441787 ईमेल : jda_jhansi@rediffmail.com

ई-लॉटरी के माध्यम से प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में ग्रुप हाऊसिंग योजना में फ्लैट प्राप्त करने का शुभअवसर

ई-लॉटरी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण

2BHK & 3BHK फ्लैट्स



विस्तार ई-लॉटरी पंजीकरण- 22.03.2023 से 04.04.2023 तक | ई-लॉटरी परिणाम 06.04.2023, समय- अपराह्न 3 बजे

क्रमांक	योजना का नाम	उपलब्ध सम्पत्ति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आरक्षित न्यूनतम मूल्य (रु.में)	पंजीकरण धनराशि 2 प्रतिशत (रु.में)
1	बेतवा बिहार आवासीय योजना (2BHK) कुल फ्लैट्स- 49	G-15/A/MIG; G-16/A/MIG; G-17/A/MIG; G-18/A/MIG; G-21/A/MIG; G-22/A/MIG F-05/A/MIG; F-13/A/MIG; F-14/A/MIG; F-17/A/MIG; F-21/A/MIG S-02/A/MIG; S-03/A/MIG; S-06/A/MIG; S-07/A/MIG; S-08/A/MIG; S-09/A/MIG S-10/A/MIG; S-11/A/MIG; S-12/A/MIG; S-13/A/MIG; S-14/A/MIG; S-15/A/MIG S-16/A/MIG; S-17/A/MIG; S-18/A/MIG; S-19/A/MIG; S-20/A/MIG; S-21/A/MIG S-22/A/MIG T-01/A/MIG; T-02/A/MIG; T-03/A/MIG; T-04/A/MIG; T-05/A/MIG; T-06/A/MIG T-07/A/MIG; T-08/A/MIG; T-09/A/MIG; T-10/A/MIG; T-11/A/MIG; T-13/A/MIG T-15/A/MIG; T-17/A/MIG; T-18/A/MIG; T-19/A/MIG; T-20/A/MIG; T-21/A/MIG T-22/A/MIG	74.32	25,15,000.00	50,300.00
2	बेतवा बिहार आवासीय योजना (3BHK) कुल फ्लैट्स- 18	G-02/B/MIG; G-10/B/MIG; G-11/B/MIG; G-16/B/MIG S-13/B/MIG T-01/B/MIG; T-03/B/MIG; T-04/B/MIG; T-05/B/MIG; T-06/B/MIG; T-07/B/MIG T-09/B/MIG; T-11/B/MIG; T-12/B/MIG; T-13/B/MIG; T-14/B/MIG; T-15/B/MIG T-16/B/MIG	111.50	37,25,000.00	74,500.00

- सम्पत्तियाँ जहाँ हैं, जैसे हैं की स्थिति में ई-लॉटरी की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन से पूर्व विज्ञप्ति सम्पत्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। ई-लॉटरी के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
- सम्पत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त, सम्पत्ति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत प्री-पेड लीजरेन्ट देना अनिवार्य होगा।
- सम्पत्ति का कब्जा वास्तविक माप के अनुसार आवंटि को लेना अनिवार्य होगा। यदि क्षेत्रफल या आकार पूर्व सूचित/विज्ञप्ति क्षेत्रफल या आकार से भिन्न होगा तो संशोधित की स्थिति के अनुसार आवंटि को धनराशि भुगतान करना होगा।
- प्रत्येक योजना में फ्लैट्स पंजीकरण धनराशि जमा करना आवश्यक होगा।
- भविष्य में ग्रुप हाऊसिंग 2BHK, 3BHK की छत पर स्थायी/अस्थायी निर्माण करने का सर्वाधिकार झाँसी विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।
- ई-लॉटरी उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी की स्वीकृति के उपरान्त ही अन्तिम होगी।
- ई-लॉटरी एवं सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी का निर्णय अन्तिम होगा।
- सभी आवेदक प्राधिकरण के वेबसाइट <https://www.jdaup.in> पर Online Service में Apply for Allotment पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर सकते हैं।

प्राधिकरण के हेल्प डेस्क मो0न0-9506034347 से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हेल्पलाइन नं.- 9506034347

दिनेश

सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

आलोक यादव

उपाध्यक्ष

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

2BHK, 3BHK फ्लैट्स में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

आवेदन की शर्तें